भारत सरकार
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय
(खेल विभाग)

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2556

उत्तर देने की तारीख 17 मार्च, 2025
26 फाल्गुन, 1946 (शक)

बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिलों के विद्यार्थियों के लिए प्रशिक्षित कोच

2556. श्री राजकुमार रोत:

क्या युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए उपलब्ध खेल विद्यालयों, एथलेटिक्स सिंथेटिक ट्रैक और हॉकी एस्ट्रोटर्फ मैदानों का ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रशिक्षित कोचों की राजस्थान सहित राज्यवार और जिलेवार संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार का बांसवाड़ा लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिलों में खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेल विद्यालय खोलने, एथलेटिक सिंथेटिक ट्रैक और हॉकी एस्ट्रोटर्फ मैदान बनाने तथा छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिए प्रशिक्षित कोचों की नियुक्ति करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो ऐसा कब तक किया जाना अपेक्षित है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री

(डॉ. मनसुख मांडविया)

(क) से (ङ) : 'खेल' राज्य का विषय होने के कारण खेल विद्यालय खोलना, एथलेटिक सिंथेटिक ट्रैक और हॉकी एस्ट्रोटर्फ मैदान बनाना और खेलों के संवर्धन हेतु छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिए प्रशिक्षित कोच नियुक्त करने सहित खेलों के विकास का उत्तरदायित्व मुख्य रूप से राज्य/संघ राज्यक्षेत्र की सरकारों का होता है। केंद्र सरकार महत्वपूर्ण कमियों को दूर करके उनके प्रयासों में सहायता करती है। तथापि, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय राजस्थान राज्य सहित पूरे देश में खेलों के विकास के लिए निम्नलिखित स्कीमों को कार्यान्वित करता है :

(i) खेलो इंडिया - राष्ट्रीय खेल विकास कार्यक्रम; (ii) राष्ट्रीय खेल परिसंघों को सहायता; (iii) अंतर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं के विजेताओं और उनके कोचों को विशेष पुरस्कार; (iv) राष्ट्रीय खेल पुरस्कार; (v) प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को पेंशन; (vi) खिलाड़ियों के लिए पंडित दीनदयाल

उपाध्याय राष्ट्रीय कल्याण कार्यक्रम; (vii) राष्ट्रीय खेल विकास निधि; और (viii) भारतीय खेल प्राधिकरण के माध्यम से खेल प्रशिक्षण केंद्रों का संचालन।

उपरोक्त स्कीमों का विवरण इस मंत्रालय (https://yas.nic.in) और भारतीय खेल प्राधिकरण (https://sportsauthorityofindia.nic.in) की वेबसाइट पर पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है।

इसके अलावा, खेल विद्यालय, एथलेटिक्स सिंथेटिक ट्रैक और हॉकी एस्ट्रोटर्फ मैदान संबंधित राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में हैं। इसलिए, इस मंत्रालय में उनके बारे में जानकारी नहीं रखी जाती है।

****